अध्याय- II

राजस्व क्षेत्र

अध्याय-II

राजस्व क्षेत्र

2.1 परिचय

2.1.1 राजस्व प्राप्ति प्रवृत्तियाँ

वर्ष 2012-13 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उदगृहित कर एवं करेत्तर राजस्व, वर्ष के दौरान राज्य को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का राज्यांश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरुपी आँकड़े **तालिका 2.1.1** में दिये गये हैं।

तालिका - 2.1.1

राजस्व प्राप्ति प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	राज्य सरकार द्वारा उदगृहित राजस्व					
	• कर राजस्व	3,044.91	3,559.04	4,405.48	5,615.62	6,414.25
	• करेत्तर राजस्व	699.44	631.86	678.06	1,136.13	1,602.88
योग		3,744.35	4,190.90	5,083.54	6,751.75	8,017.13
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का अंश	1,506.59	1,550.01	2,460.07	2,866.04	3,272.88
	• सहायता अनुदान	3,384.03	3,745.22	4,064.56	4,073.45	4,457.21
योग		4,890.62	5,295.23	6,524.63	6,939.49	7,730.09
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)	8,634.97	9,486.13	11,608.17	13,691.24	15,747.22
4.	1 की प्रतिशतता 3 से	43	44	44	49	51

स्रोत : वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2012-13 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों का 51 *प्रतिशत* (₹ 8,017.13 करोड़) राज्य सरकार द्वारा उदगृहित किया गया और प्राप्तियों का शेष 49 *प्रतिशत* (₹ 7,730.09 करोड़) भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का अंश एवं सहायता अनुदान के हिस्से के रूप में था।

2.1.2 कर राजस्व

वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान उदगृहित कर राजस्व का विवरण **तालिका 2.1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका - 2.1.2

उदगृहित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व प्राप्ति का शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011-12 के सापेक्ष 2012-13 में प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी (-)
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,910.64	2,246.84	2,940.48	3,643.51	4,289.41	(+) 17.73
2.	राज्य आबकारी	528.35	704.64	755.92	843.65	1,117.92	(+) 32.51
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	357.46	398.70	439.50	524.05	648.40	(+) 23.73
4.	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	166.98	184.56	227.26	334.69	304.29	(-) 9.08
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	51.61	2.11	2.16	229.02	2.71	(-) 98.82
6.	भू-राजस्व	17.90	8.80	18.31	10.18	10.59	(+) 4.03
7.	उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	5.87	6.27	12.15	16.52	23.13	(+) 40.01
8.	अन्य	6.10	7.12	9.70	14.00	17.80	(+) 27.14
योग		3,044.91	3,559.04	4,405.48	5,615.62	6,414.25	(+) 14.22

स्रोत : वित्त लेखे।

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्नलिखित कारण बतायेः

- **बिक्री, व्यापार आदि पर करः** वाणिज्य कर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2013) कि राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, मूल्यों में वृद्धि, नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना और विभाग द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के सत्यापन में विशेष प्रयासों के कारण हुई।
- **स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्कः** स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन विभाग ने बताया (अक्टूबर 2013) कि प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि, विलेख पत्रों[1] के पंजीयन की संख्या में 2,10,501 (2011-12) से बढ़कर 2,25,831 (2012-13) होने के कारण हुई।
- **विद्युत पर कर तथा शुल्कः** ऊर्जा विभाग ने बताया कि वर्ष 2011-12 में प्राप्ति में वृद्धि उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन द्वारा ₹ 227.11 करोड़ विद्युत कर बकाये के जमा करने के कारण हुआ जबकि वर्ष 2012-13 में इस प्रकार का भुगतान नहीं किया गया।

निवेदन (सितम्बर 2013) के बावजूद भी अन्य विभागों ने पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में भिन्नता के कारण सूचित नहीं किया (दिसम्बर 2013)।

2.1.3 करेत्तर राजस्व

वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान उदगृहित करेत्तर राजस्व का विवरण **तालिका 2.1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका - 2.1.3

उदगृहित करेत्तर राजस्व का विवरण *(₹ करोड़ में)*

क्र.सं.	राजस्व प्राप्ति शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	वर्ष 2011-12 के सापेक्ष 2012-13 में प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी (-)
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	68.49	53.71	53.76	50.62	114.76	(+) 126.70
2.	वानिकी एवं वन्य जीव	207.16	235.70	229.69	234.26	238.20	(+) 1.68
3.	ऊर्जा	171.37	56.13	13.54	41.24	150.04	(+) 263.82
4.	अलौह धातु खनन/धातुकर्म उद्योग	63.73	74.08	93.62	112.58	109.85	(-) 2.42
5.	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	28.66	34.18	47.47	37.14	38.80	(+) 4.47
6.	लोक निर्माण	15.53	19.50	24.83	17.85	18.13	(+) 1.57
7.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	5.91	5.18	5.10	8.07	7.65	(-) 5.20
8.	पुलिस	7.01	9.62	11.26	11.41	10.98	(-) 3.80
9.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	28.09	21.18	47.15	70.15	38.72	(-) 44.80
10.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	6.84	11.73	29.01	23.20	30.00	(+) 29.31
11.	सहकारिता	3.19	1.78	1.70	2.93	1.38	(-) 52.90
12.	फसल कृषि कर्म	3.62	4.55	3.78	4.54	15.83	(+) 248.68
13.	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभों हेतु योगदान एवं वसूलियाँ	27.21	37.43	49.09	448.11	748.65	(+) 67.07
14.	अन्य	62.63	67.09	68.06	74.03	79.89	(+) 7.92
योग		**699.44**	**631.86**	**678.06**	**1,136.13**	**1,602.88**	**(+) 41.08**

स्रोत : वित्त लेखे

करेत्तर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 467 करोड़ (41.08 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई और यह कुल राजस्व प्राप्तियों का 10.18 *प्रतिशत* था। वर्ष के दौरान करेत्तर राजस्व मे वृद्धि उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखण्ड के बीच पहले संयुक्त रूप से तत्कालीन उत्तरप्रदेश राज्य की पेंशन देयता के विभाजन के कारण हुई।

[1] जिला उपनिबन्धकों से प्राप्त विलेख पत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण 2011-12 के विलेख पत्रों की संख्या 2,11,379 (जो पूर्व में सूचित की गई) संशोधित की गयी।

ऊर्जा विभाग में करेत्तर राजस्व में 263.82 *प्रतिशत* की वृद्धि जल विद्युत उत्पादन (अन्य प्राप्तियाँ) के अन्तर्गत उच्चतर प्राप्तियों के कारण थी।

बारम्बार निवेदन (सितम्बर तथा दिसम्बर 2013) के बावजूद भी अन्य विभागों, जिनकी वृद्धि/कमी 20 *प्रतिशत* से अधिक थी, ने भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया ।

2.1.4 बजट अनुमानों तथा वास्तविक में भिन्नता

वर्ष 2012-13 के लिए कर एवं करेत्तर राजस्व के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नताएँ निम्न **तालिका 2.1.4** में वर्णित हैं:

तालिका - 2.1.4

बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नताएँ *(₹ करोड़ में)*

क्र.सं.	राजस्व प्राप्ति शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नता, वृद्धि (+) /कमी (-)	प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/वैट	4,088.10	4,289.41	(+) 201.31	(+) 4.92
2.	राज्य आबकारी	942.15	1,117.92	(+) 175.77	(+) 18.66
3.	स्टाम्प तथा निबन्धन शुल्क	573.95	648.40	(+) 74.45	(+) 12.97
4.	वाहनों पर कर	275.00	304.29	(+) 29.29	(+) 10.65
5.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	60.00	2.71	(-) 57.29	(-) 95.48
6.	ब्याज प्राप्तियाँ	35.00	114.76	(+) 79.76	(+) 227.89
7.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	11.82	38.72	(+) 26.90	(+) 227.58
8.	फसल कृषि कर्म	2.71	15.83	(+) 13.12	(+) 484.13
9.	पुलिस	10.11	10.98	(+) 0.87	(+) 8.61
10.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	23.16	30.00	(+) 6.84	(+) 29.53
11.	सड़कें तथा सेतु	6.20	0.22	(-) 5.98	(-) 96.45
12.	लोक निर्माण	16.16	18.13	(+) 1.97	(+) 12.19
13.	वानिकी एवं वन्य जीव	296.71	238.20	(-) 58.51	(-) 19.72
14.	अलौह धातु खनन तथा धातुकर्म उद्योग	131.00	109.85	(-) 21.15	(-) 16.15
15.	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	25.21	38.80	(+) 13.59	(+) 53.91
16.	ऊर्जा	84.00	150.04	(+) 66.04	(+) 78.62
17.	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों हेतु योगदान एवं वसूलियाँ	512.00	748.65	(+) 236.65	(+) 46.22

स्रोतः प्राप्ति बजट और वित्त लेखे।

सम्बन्धित विभाग ने भिन्नता के निम्नलिखित कारण बतायेः

राज्य आबकारीः राज्य आबकारी विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि राज्य विधानसभा चुनाव के कारण वर्ष 2012-13 के देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के अग्रिम अनुज्ञापन शुल्क विलम्ब से जमा किये गये थे (मई 2012) जबकि वर्ष 2013-14 हेतु अनुज्ञापन शुल्क समय से जमा किये जाने (मार्च 2013) के परिणामस्वरूप वृद्धि हुई।

परिवहन विभागः परिवहन विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में सरकार द्वारा उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 में दिसम्बर 2012 से प्रभावी संशोधित कर संरचना के क्रियान्वयन के कारण वृद्धि हुई।

विद्युत विभागः विद्युत पर करों तथा शुल्कों की वास्तविक प्राप्ति में कमी वर्ष 2012-13 में उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बकाये के भुगतान न करने के कारण हुई।

बारम्बार निवेदन (सितम्बर तथा दिसम्बर 2013) के बावजूद भी अन्य विभागों ने, जिनमें 20 *प्रतिशत* से अधिक की भिन्नता थी, भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया ।

2.1.5 राजस्व प्राप्तियों के संग्रह की लागत

वर्ष 2011-12 के लिए सकल संग्रह पर व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता सहित 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान, मुख्य राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित सकल संग्रह, संग्रह पर व्यय तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता **तालिका 2.1.5** में वर्णित है:

तालिका - 2.1.5

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	कुल संग्रह[2]	संग्रह पर व्यय	कुल संग्रह से संग्रह पर व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2011-12 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	बिक्री/वाणिज्य कर/वैट	2010-11	2,934.95	33.46	1.14	0.83
		2011-12	3,635.97	35.30	0.97	
		2012-13	4,270.72	39.34	0.92	
2.	राज्य आबकारी	2010-11	755.98	8.57	1.13	2.98
		2011-12	843.57	7.75	0.92	
		2012-13	1,117.80	8.42	0.75	
3.	वाहनों पर कर	2010-11	223.26	13.22	5.92	2.96
		2011-12	329.51	13.47	4.09	
		2012-13	298.17	15.03	5.04	
4.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	2010-11	439.45	11.37	2.58	1.89
		2011-12	524.02	9.40	1.79	
		2012-13	648.36	14.70	2.26	

स्रोत : सम्बन्धित राज्य सरकार विभाग।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि राज्य आबकारी विभाग के सिवाय सभी शीर्षों में संग्रह की लागत अखिल भारतीय औसत से अधिक थी।

2.1.6 कर राजस्व के संग्रह का विश्लेषण

विगत पाँच वर्षों के दौरान बिक्री एव व्यापार आदि पर कर के कुल संग्रह का, पूर्व निर्धारण चरण तथा नियमित निर्धारण के पश्चात् पृथक-पृथक आँकड़ें, जैसे वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये थे, **तालिका 2.1.6** में इंगित हैं:

तालिका - 2.1.6

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	पूर्व निर्धारण स्तर पर संग्रहित धनराशि	नियमित निर्धारण के पश्चात् संग्रहित धनराशि (अतिरिक्त मांग)	कर और शुल्क के भुगतान में विलम्ब के लिए अर्थदण्ड	वापस की गई धनराशि	विभाग के अनुसार शुद्ध संग्रह	स्तम्भ 7 से 3 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्री, व्यापार पर कर/वैट	2008-09	1,896.92	10.40	0.96	9.13	1,899.15	99.88
	2009-10	1,843.75	407.57	1.08	19.83	2,232.57	82.60
	2010-11	2,451.60	502.48	1.36	26.46	2,928.98	83.70
	2011-12	3,509.26	145.40	1.97	26.45	3,630.18	96.66
	2012-13	4,246.41	44.05	2.65	24.38	4,268.72	99.48

स्रोतः वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना ।

[2] वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 हेतु राज्य के विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी चार करों के संग्रह के आँकड़े तालिका में दिये गये हैं जो कि वित्त लेखों में दर्शित आँकड़ों से मेल नहीं खाते।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वाणिज्य कर के अन्तर्गत किया गया संग्रह, पूर्व कर निर्धारण स्तर पर 82.60 एवं 99.48 *प्रतिशत* के मध्य था, जबकि नियमित कर निर्धारण के पश्चात् संग्रह बहुत कम था। स्पष्ट है कि कर निर्धारण स्तर पर कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं की गयी।

2.1.7 राजस्व बकायों का विश्लेषण

मुख्य राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च, 2013 को विभागों द्वारा सूचित ₹ 3,015.84 करोड़ (लोक निर्माण विभाग को छोड़कर) के राजस्व बकायों में से ₹ 507.70 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि **तालिका 2.1.7** में वर्णित है।

तालिका - 2.1.7 *(₹ करोड़ में)*

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	बकाये की धनराशि		अभ्युक्तियाँ
		31 मार्च 2013 तक	पाँच वर्षों से अधिक	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/वैट	2,563.17	493.20	₹ 276.52 करोड़ (1,764 मामलें) की वसूली न्यायाधीन है। वसूली और द्वितीय वसूली प्रमाण पत्र जहाँ आवश्यक थे जारी किये जा चुके हैं।
2.	वाहनों पर कर	7.08	4.45	सात प्रकरण (₹ 0.05) न्यायाधीन थे (पाँच वर्ष से पुराने तीन थे) एवं शेष प्रकरणों (₹ 7.03 करोड़) के लिए वसूली की मांग जिलाधिकारी के माध्यम से की जा चुकी थी।
3.	राज्य आबकारी	0.60	0.60	₹ 24.66 लाख धनराशि के दो प्रकरण न्यायालय में लम्बित हैं अन्य प्रकरणों में, धनराशि (₹ 35.34 लाख) की वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है।
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	421.78	-	विभाग ने बताया कि मामले के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि. से नियमित पत्राचार किया जा रहा है।
5.	मनोरंजन कर	0.71	0.002	₹ 1.56 लाख के प्रकरण न्यायालय में लम्बित हैं। शेष प्रकरणों मे, ₹ 69.44 लाख के वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं।
6.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	9.01	0.71	₹ 5.24 करोड़ की वसूली न्यायाधीन है शेष प्रकरणों में, ₹ 3.77 करोड़ धनराशि की वसूली हेतु मांग की प्रक्रिया जारी है।
7.	सहकारिता	10.75	8.74	वसूली हेतु मांग की कार्यवाही जिला स्तर अधिकारी के माध्यम से प्रक्रियागत की जा चुकी है।
8.	गन्ना क्रय पर कर	2.74	-	गन्ना क्रय पर कर, चीनी मिल से चीनी की बोरियों की निकासी के समय नियमित रूप से जमा किया जा रहा है।
योग		3,015.84	507.70	

स्रोत : सम्बन्धित विभाग।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ₹ 507.70 करोड़ की वसूली पाँच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थी। उनकी वसूली हेतु सार्थक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

2.1.8 करापवंचन

वाणिज्य कर विभाग द्वारा पकड़े गये करापवंचन के मामले, निस्तारित मामले तथा वर्ष 2012-13 में उदगृहित अतिरिक्त कर की मांग का विवरण जैसा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया, **तालिका 2.1.8** में दर्शाया गया है:

तालिका - 2.1.8

कर/शुल्क का नाम	31 मार्च 2012 को अनिस्तारित प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2012-13 के दौरान पकड़े गये मामले	योग	वर्ष 2012-13 के दौरान मामलों की संख्या जिसमें कर निर्धारण/जाँच पूरा होने पर अर्थदण्ड सहित अतिरिक्त माँग की गई		31 मार्च 2013 को अनिस्तारित प्रकरणों की संख्या
				मामलों की संख्या	(₹ करोड़ में)	
वाणिज्य कर/वैट	1,523	3,327	4,850	4,635	69.17	215

विभाग द्वारा उठाई गई मांग के विरुद्ध की गई वसूली की धनराशि सूचित नहीं की गई थी (दिसम्बर 2013)।

2.1.9 कर वापसी मामलों का निस्तारण

वाणिज्य कर विभाग ने वर्ष 2012-13 में 80.14 *प्रतिशत* कर वापसी दावों का निस्तारण किया, जबकि स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क के प्रकरणों में वर्ष के दौरान सभी मामले निस्तारित कर लिए गये, जैसा कि **तालिका 2.1.9** में दर्शाया गया है:

तालिका - 2.1.9

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	वाणिज्य कर		स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	1,194	665.69	-	-
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	5,126	2,851.29	10	274.89
3.	वर्ष के दौरान वापसी	5,065	2,437.83	10	274.89
4.	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	1,255	1,079.15	शून्य	शून्य

स्रोतः सम्बन्धित राज्य विभाग।

वाणिज्य कर विभाग में अनिस्तारित वापसी मामलों की संख्या में वृद्धि उत्साहवर्धक नहीं थी। उत्तराखण्ड वैट अधिनियम, 2005 में व्यापारी को आदेश की तिथि से 90 दिन के भीतर वापस न की गई अतिरिक्त धनराशि पर एक *प्रतिशत* प्रतिमाह की दर से और उसके पश्चात् वापस किये जाने तक 1.5 *प्रतिशत* प्रतिमाह की दर से ब्याज के भुगतान का प्रावधान है। ब्याज दायित्व से बचने हेतु वापसी दावों का निस्तारण समय पर किये जाने का प्रयास किया जाये।

2.1.10 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

2.1.10.1 राज्य सरकार के हितों की रक्षा एवं जवाबदेही लागू करने में विभागाध्यक्ष की विफलता

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड (म ले) निर्धारित नियमों के अनुसार, लेनदेनों की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण को सत्यापित करने हेतु सम्बद्ध सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण सम्पादित करते हैं। इन निरीक्षणों के आधार पर निरीक्षण प्रतिवेदन (नि प्र) तैयार किये जाते हैं, जिसमें निरीक्षण के समय पाई गई तथा स्थान पर ही निस्तारित न की गई, अनियमितताएँ होती हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को निर्गत की जाती हैं एवं उसकी प्रतियाँ अगले उच्च प्राधिकारियों को समुचित सुधार की कार्रवाई हेतु भेजी जाती हैं। कार्यालय प्रमुखों/सरकार से अपेक्षा की जाती है कि नि प्र में सम्मिलित टिप्पणियों का अनुपालन सुनिश्चित करके त्रुटियों एवं चूकों का सुधार समुचित रूप से करें एवं अनुपालन आख्या म ले को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के अन्दर भेजें। गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें लेखापरीक्षा प्रस्तर के माध्यम से विभागाध्यक्षों/सरकार के संज्ञान में लाई जाती है।

दिसम्बर 2012 तक निर्गत 919 निरीक्षण आख्याओं से सम्बन्धित ₹ 178.58 करोड़ के 1,936 प्रस्तर जो जून 2013 तक बकाया थे तथा इनके साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े **तालिका 2.1.10** में दर्शाये गये हैं:

तालिका - 2.1.10

	जून 2011	जून 2012*	जून 2013
निस्तारण हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	1,213	851	919
बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	2,432	1,797	1,936
अन्तर्निहित धनराशि (₹ करोड़ में)	280.88	151.30	178.58

* विद्युत शुल्क, भू-राजस्व, विभागीय प्राप्ति एवं न्यायालय शुल्क से सम्बन्धित बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रस्तरों एवं धनराशि को दूसरे खण्डों में स्थानान्तरित कर दिया गया, अतः जून 2012 में शामिल नही थी।

30 जून 2013 को विभागवार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों व लेखापरीक्षा टिप्पणियों एवं अन्तर्निहित धनराशि का विवरण नीचे **तालिका 2.1.11** में दर्शाया गया है:

तालिका - 2.1.11

क्र. स.	विभाग का नाम	प्राप्ति की प्रकृति	बकाया प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	अन्तर्निहित धनराशि *(₹ करोड़ में)*
1.	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/वैट	399	1,038	87.76
2.	मनोरंजन कर	मनोरंजन कर, विलास कर	51	67	10.85
3.	आबकारी	राज्य आबकारी	84	133	33.47
4.	परिवहन	मोटरयानों पर कर	103	273	35.13
5.	स्टाम्प एवं निबन्धन	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क	282	425	11.37
योग			**919**	**1,936**	**178.58**

निरीक्षण प्रतिवेदनों और सम्प्रेक्षा आपत्तियों का बड़ी मात्रा में बकाया रहना इंगित करता है कि कार्यालयाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों द्वारा लेखापरीक्षा में दर्शायी गयी कमियों, चूकों एवं अनियमितताओं को दूर करने हेतु त्वरित कार्यवाही नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा आपत्तियों के निस्तारण में अत्यधिक देरी, उनका अत्यधिक पुराने हो जाने के कारण सम्बन्धित विभाग द्वारा वसूली/कार्यवाही करने के जोखिम को बढ़ाता है।

2.1.10.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

उत्तराखण्ड सरकार की राजस्व प्राप्तियों के निरीक्षण प्रतिवेदन की बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों के शीघ्र निस्तारण के लिए शासन द्वारा विभागीय लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया। तथापि, लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक वर्ष 2012-13 के दौरान नहीं हुई।

2.1.10.3 प्रलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों के सम्बन्ध में विभाग का उत्तर

स्थानीय निरीक्षण के दौरान देखी गयी गम्भीर एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों (प्रलेख लेखापरीक्षा प्रस्तर) को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित किया जाता है जिन्हें सम्बन्धित विभाग के सचिवों को उनका ध्यान आकर्षित करते हुये उनके उत्तर छः सप्ताह के भीतर भेजने के निवेदन के साथ अग्रसारित किया जाता है। निर्धारित समयान्तर्गत विभाग/शासन के उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में प्रलेख प्रस्तर के तथ्यों एवं आँकड़ों को विभाग/शासन की स्वीकारोक्ति मानते हुए इस तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर के अन्त में उल्लिखित कर दिया जाता है।

2.1.10.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विभाग का प्रत्युत्तर-संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति, जिसे दिसम्बर 2002 में अधिसूचित किया गया, की आन्तरिक कार्यप्रणाली के अनुसार भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किये जाने पर विभाग लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर कार्यवाही प्रारम्भ करते हैं। प्रतिवेदन पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही/व्याख्यात्मक टिप्पणी को सरकार द्वारा समिति को विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। सरकार/विभाग द्वारा प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक टिप्पणी असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की जाती रही है। उत्तराखण्ड सरकार से सम्बन्धित भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2000-01 से 2007-08 तक के राजस्व प्राप्ति प्रतिवेदन, लोक लेखा समिति में 2005-06 से 2012-13 के वर्षों में विवेचित किए गए थे एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी/कृत कार्रवाई के 27 प्रकरण, 31 मार्च 2013 तक समिति के समक्ष लम्बित थे।

2.1.11 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

विगत 5 वर्षों में जारी वाणिज्य कर विभाग सम्बन्धी निरीक्षण प्रतिवेदनों का संक्षिप्त विवरण, प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों एवं उनकी 31 मार्च 2013 तक की स्थिति **तालिका 2.1.12** में दर्शायी गई है:

तालिका - 2.1.12

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के दौरान अन्तिम अवशेष		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि
2008-09	233	537	19.30	49	206	21.63	8	69	2.32	274	694	38.61
2009-10	274	694	38.61	44	105	12.04	6	48	0.64	312	751	50.01
2010-11	312	751	50.01	54	158	89.37	6	32	0.70	360	877	138.68
2011-12	360	877	138.68	54	192	8.56	12	46	65.94	402	1,023	81.30
2012-13	402	1,023	81.30	37	151	23.79	27	78	11.20	412	1,096	93.89

वर्ष 2008-09 के प्रारम्भ में बकाया 233 निरीक्षण प्रतिवेदनों में 557 प्रस्तरों की संख्या वर्ष 2012-13 के अन्त में बढ़कर 412 प्रतिवेदनों में 1,096 प्रस्तर हो गयी थी, जबकि 2008-13 की अवधि में 273 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया।

2.1.12 लेखापरीक्षा आयोजना

वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना जोखिमों के विश्लेषण के आधार पर तैयार किये जाते हैं जिसके लिये अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी राजस्व एवं कर व्यवस्थापन के गहन मुद्दे जैसे बजट भाषण, वित्त लेखे पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदन (राज्य व केन्द्रीय), कर सुधार समिति की सिफारिशें एवं पिछले 5 वर्षों की राजस्व कमाई के सांख्यिकी विश्लेषण पूर्व पाँच वर्षों के दौरान कर व्यवस्थापन के तथ्यों, लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र एवं इसके प्रभाव इत्यादि का ध्यान रखा जाता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान कुल 239 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में 115 इकाईयों की लेखापरीक्षा आयोजना तैयार की गयी थी तथा 104 इकाईयों की लेखापरीक्षा हुयी थी।

2.1.13 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2012-13 के दौरान वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, मोटरवाहन तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की कुल योजना की गई 115 इकाईयों में से 104 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि 248 मामलों में ₹ 38.37 करोड़ के कर का अवनिर्धारण/अल्प आरोपण/राजस्व हानि हुई। विभाग ने 11 प्रकरणों में ₹ 26.00 लाख स्वीकार किया। तथापि विगत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्ष से सम्बन्धित, वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर 81 प्रकरणों में ₹ 0.59 करोड़ की वसूली हुई।

2.1.14 इस रिपोर्ट के राजस्व अध्याय के विषय

इस अध्याय में, ₹ 0.85 करोड़ के अन्तर्निहित 'वाणिज्य कर विभाग में राजस्व बकाया', 'कर एवं अर्थदण्ड की वसूली न होना' तथा 'स्टाम्प शुल्क के अनारोपण' से सम्बन्धित तीन प्रस्तर शामिल हैं। वाणिज्य कर विभाग ने ₹ 0.05 करोड़ धनराशि की लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया है।

अनुपालन लेखापरीक्षा

वाणिज्य कर विभाग

2.2 वाणिज्य कर विभाग में राजस्व बकाया

वर्ष 2008-09 (₹ 501.43 करोड़) से वर्ष 2012-13 (₹ 2,563.17 करोड़) की अवधि के दौरान राजस्व बकाये में ₹ 2,061.74 करोड़ की वृद्धि हुई। ₹ 48.03 करोड़ की वसूली हेतु वसूली प्रमाण एक माह से आठ वर्ष तक के विलम्ब से जारी किये गये। इसके अतिरिक्त, ₹ 26.99 करोड़ के स्थगित मामलों में स्थगन खारिज नहीं करवाया गया, ₹ 35.48 करोड़ के एक पक्षीय मामलों का निपटान न किया जाना तथा ₹ 13.54 करोड़ के राजस्व बकाया का अधिनिर्धारण किया गया।

वाणिज्य कर विभाग राज्य के समग्र राजस्व अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका योगदान वर्ष 2012-13 में संग्रहित कुल राजस्व (₹ 6,414 करोड़) का 67 *प्रतिशत* (4,289 करोड़) है। विभाग की दक्षता एवं प्रभावकारिता, कर निर्धारण मांगों का सृजन एवं उसके बकाये के संग्रहण के सापेक्ष मापी जाती है। उत्तराखण्ड में वाणिज्य कर का उद्ग्रहण, उ प्र व्यापार कर अधिनियम 1948 (उ प्र व्या कर अधि) के तहत 30 सितम्बर 2005 तक एवं उसके बाद उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत शासित है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यापारी जो इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान का दायी है, अपने कारोबार की विवरणी विभाग को कर निर्धारण हेतु प्रस्तुत करेगा। जैसे ही सम्बंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण किया जाता हैं, विभाग द्वारा वैसे ही माँग के लिये नोटिस कर निर्धारण आदेश की प्रति के साथ व्यापारी को भेजा जाता है। व्यापारी इस प्रकार निर्धारित कर, साठ दिन की अवधि के भीतर जमा करेगा। व्यापारी यदि ऐसा करने में विफल रहता है तो इसे भू-राजस्व बकाये की तरह वसूल किया जा सकता है एवं इस सम्बंध में एक वसूली प्रमाणप्रत्र कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को उसमें विनिर्दिष्ट राशि के संग्रहण हेतु भेजा जायेगा। राजस्व बकाये के कारणों एवं इसे समाप्त करने के लिये विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों का मूल्यांकन करने के लिए लेखा परीक्षा द्वारा 70 वाणिज्य कर कार्यालयों (सी टी ओ)[3] मे से 07 वाणिज्य कर कार्यालयों वर्ष के 2008-09 से 2012-13 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच अपैल से जून 2013 के मध्य की गयी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैः

2.2.1 राजस्व बकायों की स्थिति

विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अनुसार राजस्व बकायों की वर्षवार स्थिति नीचे **तालिका 2.2.1** में दी गई है:

[3] डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)- देहरादून-V, हरिद्वार-I & II, हल्द्वानी-I, काशीपुर-I, खटीमा और ऋषिकेश।

तालिका - 2.2.1 *(₹ करोड़ में)*

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष 1 अप्रैल को		सृजित माँग		कर निर्धारण अधिकारी/अपीली प्राधिकारी द्वारा कम की गयी मांग		संग्रहित धनराशि		राजस्व बकायों का अन्तिम अवशेष	
	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
2008-09	14,350	631.17	5,027	74.09	1,769	180.89	2,144	22.94	15,464	501.43
2009-10	15,464	501.43	10,450	589.83	2,867	189.66	3,887	20.53	19,160	881.07
2010-11	19,160	881.07	11,751	1,313.62	3,738	1,019.22	4,264	29.28	22,909	1,146.19
2011-12	22,909	1,146.19	8,511	579.35	3,721	443.95	4,237	27.20	23,462	1,254.39
2012-13	23,462	1,254.39	20,931	2,430.39	4,079	1,089.79	4,939	31.82	35,375	2,563.17

स्रोत- विभाग द्वारा प्रदत्त सूचनायें।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि-

- वर्ष 2009-13 के दौरान बकाया कर राजस्व में 411 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गयी (₹ 501.43 करोड़ से ₹ 2,563.17 करोड़) जिसका मुख्य कारण वैट अधिनियम लागू होने से (अक्टूबर, 2005) कर अदा करने वाले व्यापारियों की संख्या में वृद्धि तथा वर्ष-2009-10 से वैट अधिनियम के परिणामों[4] के कारण थे।
- उपरोक्त के अतिरिक्त, वर्ष 2010-11 एवं 2012-13 में बकाया राजस्व में भारी वृद्वि का कारण विभाग द्वारा एक पक्षीय कर निर्धारण द्वारा माँग में अत्यधिक वृद्वि किया जाना था। जबकि, धारा 31 के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा मांग में इसी वर्ष में, 78 से 45 *प्रतिशत* की कमी की गयी थी।
- ₹ 2,563.17 करोड़ की कुल बकाया मांग 35375 प्रकरणों में से ₹ 273.06 करोड़ (6841 प्रकरणों में) का बकाया 10 वर्ष से अधिक पुरानी थी एवं ₹ 220.14 करोड़ (5,702 प्रकरणों में) की बकाया मांग 5 से 10 वर्ष पुरानी थी, जो कुल बकाया राजस्व का 19.24 *प्रतिशत* था।

2.2.2 वसूली प्रमाण-पत्रों (आर सी) का विलम्ब से/जारी न किया जाना

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम/ उत्तराखण्ड वैट अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित कर, कर निर्धारण एवं मांग नोटिस के प्राप्त होने के 30 दिन (31 मार्च 2008 से 60 दिन) के अन्दर जमा हो जाने चाहिए। निर्धारित समय के अन्दर कर जमा न होने की स्थिति में, कर निर्धारण अधिकारी, कर निर्धारण आदेश एवं मांग पत्र के प्राप्त होने के 45 दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् (1 अक्टूबर 2005 से 90 दिन) भू-राजस्व की बकाये की तरह वसूली की कार्यवाही हेतु अविलम्ब आर सी जारी करेगा। वाणिज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में यह पाया गया कि वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान ₹ 52.88 करोड़ के 55 प्रकरणों में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आर सी जारी नहीं की गयी थी। आगे, ₹ 48.03 करोड़ के मांग के 63 प्रकरणों में चूककर्ताओं के विरूद्ध आर सी एक माह से आठ वर्ष तक बिलम्ब से जारी की गयी थी।

इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा विभाग में स्टाफ की कमी के आधार पर आर सी का विलम्ब से एवं जारी न किये जाने को न्यायोचित ठहराया गया। लेकिन, अधिनियम के आवश्यक प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तर मान्य नहीं था।

2.2.3 स्थगित प्रकरणों का समाप्त न कराया जाना

जब कभी व्यापारी द्वारा विभाग के कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी/अधिकरण/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय/में अपील की जाती है, वहां विभाग के लिये यह अनिवार्य हो जाता है कि अपीलीय प्रधिकारियों द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश (यदि कोई हो) को समाप्त किये जाने के लिये तत्परता से

[4] वर्ष 2005-06 तथा आगे के प्रकरण 2009-10 में तथा इससे आगे निर्धारित किये गये, विभाग में कर निर्धारण प्रक्रिया तीन वर्ष से अधिक विलम्ब से चल रही है।

कार्यवाही करें। विभाग से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपीलीय प्राधिकारी के यहां लम्बित मामलों के जल्द निपटारे के लिये उनसे अनुरोध करे। वाणिज्य कर निर्धारण अधिकारियों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कुल ₹ 26.99 करोड़ के 52 प्रकरणों में (₹ 5.00 लाख एवं उससे ऊपर) विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा स्थगन प्रदान किये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश को समाप्त किये जाने के लिये विभाग द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

2.2.4 एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश का निपटान न किया जाना

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-31 के प्रावधानों के अनुसार किसी मामले में जिसमें कर निर्धारण या अर्थदण्ड के सम्बन्ध में एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है, व्यापारी उक्त आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर कर निर्धारण प्राधिकारी को ऐसा आदेश समाप्त करने और उस मामले पर पुनर्विचार करने के लिये प्रार्थनापत्र दे सकता है और यदि ऐसे अधिकारी को समाधान हो जाये कि प्रार्थी को नोटिस नहीं मिला था या वह प्रर्याप्त कारणों से नियत तारीख को उपस्थित न हो सका था, तो वह आदेश को समाप्त कर सकता है और ऐसे मामले की सुनवाई पुनः प्रारम्भ कर सकता है। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2009-10 से 2012-13 के मध्य ₹ 35.48 करोड़ के राजस्व बकाये के 31 प्रकरणों में विभाग द्वारा एक पक्षीय आदेश निर्धारित किये गये थे। इस तथ्य के बावजूद प्रकरण यथावत थे कि सम्बंधित व्यापारियों द्वारा कर निर्धारण अधिकारियों के समक्ष निर्धारित समय के अन्दर अपील किये गये थे। कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा न तो उनके अनुरोध को खारिज किया गया और न ही इन प्रकरणों में एक पक्षीय आदेश समाप्त किये गये। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर अधिकतर वाणिज्य कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे का अश्वासन दिया था।

2.2.5 बकाये राजस्व का अधिनिर्धारण

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(1) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यापारी जो अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम मे धारा 8 (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन का माल किसी रजिस्टीकृत व्यापारी को बेचता है, तो इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट दर से कर भुगतान का दायी होगा। पुनश्च, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 (4) में प्रावधान है कि धारा-8 की उपधारा (1) का उपबन्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय के किसी भी मामले में तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि माल का विक्रय करने वाला व्यापारी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष क्रय करने वाले व्यापारी द्वारा सम्यक रूप से भरे गए एवं हस्ताक्षरित घोषणा प्रपत्र (सी एवं एफ), जिनमें कि विक्रय की विशिष्टियां अंकित हो, प्रस्तुत न कर दें। आगे यह भी प्रावधान है कि उक्त घोषणा निर्धारित समय, या किसी ऐसे अतिरिक्त समय जो कि प्राधिकारी पर्याप्त कारणों के आधार पर अनुमन्य कर दे, के अंदर ही प्रस्तुत की जानी चाहिये। प्रपत्र सी एवं एफ के प्रस्तुत न किये जाने के कारण किसी व्यापारी के विरूद्ध कर की किसी मांग को निर्धारण के समय कम करना पड़ेगा यदि व्यापारी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमन्य समय से प्रपत्र सी एवं एफ प्रस्तुत कर देगा।

वाणिज्य कर कार्यालय, हरिद्वार-I के नमूना लेखा परीक्षा जाँच में यह पाया गया कि 17 प्रकरणों में कुल ₹ 13.54 करोड़ (वर्ष 2008-09 के 2012-13 के दौरान निर्धारित) की मांग कर निर्धारण के समय फार्म-सी एवं एफ व्यापारी द्वारा प्रस्तुत न किये जाने के कारण बकाया पड़े थे जबकि व्यापारियों द्वारा फार्म सी एवं एफ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुज्ञात समय के अन्दर प्रस्तुत कर दिये गये थे। फिर भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग में कमी नहीं की गयी। परिणामस्वरूप राजस्व बकाये का अधिनिर्धारण हुआ।

उत्तर में विभाग द्वारा उल्लिखित किया गया है कि कार्य की अधिकता एवं कर निर्धारण अधिकारी संवर्ग में (*7 प्रतिशत),* स्टैनों संवर्ग में (49 *प्रतिशत)* तथा लेजर कीपर संवर्ग में (41 *प्रतिशत)* कर्मचारी की कमी के कारण फार्म सी एवं एफ को लेखांकित नहीं किया जा सका।

इन बिन्दुओं को सरकार/विभाग के संज्ञान में लाया गया (अगस्त, 2013) उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर, 2013)।

वाणिज्य कर विभाग

2.3 कर एवं अर्थदण्ड का वसूल न होना

उत्तराखण्ड वैट अधिनियम की अनुचित धारा के अन्तर्गत कर निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 1.02 लाख कर के न्यूनारोपण के अतिरिक्त ₹ 3.60 लाख अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ।

उत्तराखण्ड वैट अधिनियम, 2005 की धारा-25 में पंजीकृत व्यापारियों के कर निर्धारण का प्रावधान है जबकि अधिनियम की धारा-26 में कर के लिये उत्तरदायी अपंजीकृत व्यापारियों के कर निर्धारण को यह प्राविधानित करता है कि "यदि कर निर्धारक प्राधिकारी को उनके अधिकार में आई सूचना पर, यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यापारी, जो किसी कर अवधि के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है, अपने को पंजीकृत कराने में असफल रहा है, तो वह कर निर्धारक प्राधिकारी सुसंगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद तीन वर्षों के अवसान के पूर्व ऐसी अवधि और बाद की अवधियों के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्तियों द्वारा देय कर की धनराशि का स्वविवेकानुसार निर्धारण करेगा और उसको ऐसे कर निर्धारण के फलस्वरूप देय पायी गयी कर की धनराशि के बराबर धनराशि को अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने के लिये निर्देश देगा"।

सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर (खण्ड-IV), देहरादून के अभिलेखों की जांच (फरवरी 2013) में पाया गया कि एक अपंजीकृत व्यापारी[5] का वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में ₹ 64.50 लाख के पके भोजन की आपूर्ति हेतु वैट अधिनियम, 2005 की धारा 25 (6) के अन्तर्गत कर निर्धारण किया गया (मई 2011) तथा ₹ 2.58 लाख कर आरोपित किया गया। यद्यपि कर निर्धारण धारा-26 के अन्तर्गत किया जाना था, क्योंकि कर निर्धारिती एक अपंजीकृत व्यवहारी था तथा वह कर की धनराशि के बराबर धनराशि के अर्थदण्ड का उत्तरदायी था लेकिन विभाग द्वारा उसे आरोपित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त 19 नवम्बर, 2007 से पके भोजन पर 4 *प्रतिशत* की दर से आरोपित किये गये कर की बजाय 12.5 *प्रतिशत*[6] की दर से करदेयता थी तथा ₹ 1.02 लाख अतिरिक्त कर प्रभारित किया जाना था ।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया (मई, 2013) कि प्रकरण का पुनर्निर्धारण किया गया है (अप्रैल, 2013) तथा ₹ 3.60 लाख अर्थदण्ड सहित ₹ 4.62 लाख (पूर्व में भुगतान किये गये ₹ 2.58 कर की राशि घटाने के पश्चात्) की अतिरिक्त मांग सृजित की गई है। विभाग ने यह भी अवगत कराया(अक्टूबर 2013) कि व्यापारी ने (जून 2013) कर के पुनर्निर्धारण के विरूद्ध संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की है तथा उसका निर्णय अपेक्षित है ।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (अप्रैल 2013), उनका उत्तर अपेक्षित है (दिसम्बर 2013) ।

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग

2.4 ₹ 79.84 लाख के स्टाम्प शुल्क का अनारोपण

विभागीय उदासीनता के परिणामस्वरुप ₹ 79.84 लाख स्टाम्प शुल्क का अनारोपण।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1ख 5(ख-2) में उल्लिखित है कि भूमि पर भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति द्वारा, जो भूस्वामी अथवा पट्टेदार से भिन्न हो तथा उसमें ऐसा अनुबन्ध हो कि निर्माण के पश्चात् ऐसे भवन को यथास्थिति, ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार और उस अन्य व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक धारित किया जायेगा या कि उनके द्वारा उसे संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक बेचा जायेगा या कि उसके एक भाग को उनके द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक धारित किया जायेगा और उसके शेष भाग को उनके द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक

---

[5] मेसर्स अशोक ब्रदर्स, 1, पार्क रोड, देहरादून।

[6] अधिसूचना सं0 709/XXVII(8)/वाणिज्य कर (वैट)/2007, देहरादून दिनांक 19 नवम्बर 2007।

बेचा जायेगा, तो वही शुल्क जो भूमि के मूल्य या धनराशि के बराबर प्रतिफल वाले भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1 (ख) के [सं-23 खण्ड (क)] समान देय होगा। पुनः, पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-17 (1) (ख) में यह प्रावधान किया गया है कि मृत्यु पूर्व प्रभावी अन्य विलेख जो वर्तमान या भविष्य में अचल सम्पत्ति में, या पर, कोई अधिकार, स्वत्व या हित चाहे वह निहित हो या सम्भावित, सृजित घोषित अभ्यर्पित, सीमित या शमित करे या करने का अभिप्राय रखे स्थानीय उप निबन्धक के यहाँ अनिवार्य रूप में पंजीकृत किया जायेगा।

चार उप निबन्धक (एस आर) कार्यालयों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2008 से 2012 के मध्य तैयार बने फ्लैटों के क्रय हेतु विक्रेताओं एवं क्रेता/क्रेताओं के बीच सात विलेख निष्पादित किये गये थे तथा पाया गया कि विक्रेताओं में से एक भूस्वामी था तथा अन्य विकासक/अनुबंध करने वाले समूह थे। तथापि, भूस्वामी/स्वामियों तथा विकासक/विकासकों/सहमतिकर्ता पक्षों के मध्य किसी प्रकार के विकास अनुबन्ध का प्रमाण नहीं था। विवरण **तालिका 2.4.1** में दिया गया है:-

तालिका - 2.4.1

क्रम सं0	इकाई का नाम	पुस्तक/जिल्द, अभिलेख सं एवं पंजीकरण की तिथि	कुल प्रोजेक्ट में भूमि का क्षेत्रफल	प्रति वर्ग मी की दर (₹)	बाजारी मूल्य (₹)	स्टाम्प शुल्क की दर[7]	अनारोपित स्टाम्प शुल्क (₹)
1.	एस आर-I, देहरादून	1/4287/233 10.01.12	4974 वर्ग मी0	5,000	2,48,70,000	10%	24,87,000
2.		1/4275/16 02.01.12	133.78 वर्ग मी0	7,000	9,36,460	06%	56,188
3.	एस आर, देवप्रयाग	1/246/1027 10.12.08	11000 वर्ग मी0	2,040	2,24,40,000	10%	22,44,000
4.		1/241/678 26.06.08	6700 वर्ग मी0	1,200	80,40,000	10%	8,04,000
5.		1/283/1123 01.09.11	3788 वर्ग मी0	1,200	45,45,600	10%	4,54,560
6.	एस आर-I, रूड़की	1/1950/405 11.01.12	11230.95 वर्ग मी0	2,300	2,58,31,185	07%	18,08,183
7.	एस आर, ऋषिकेश	1/1377/4765 15.07.11	259.29 वर्ग मी.	5,000	12,96,000	10%	12,96,000
योग							79,83,531

पंजीकरण अधिकारी द्वारा फ्लैटों के विक्रय पत्र में उल्लिखित तथ्यों पर विचार नहीं किया गया तथा फ्लैटों की बिक्री के समय विक्रेताओं के मध्य विकास अनुबन्ध के लिए भी नहीं कहा गया। इस प्रकार विभागीय उदासीनता के परिणामस्वरूप ₹ 79.84 लाख का स्टाम्प शुल्क अनारोपित रहा।

इसे इंगित किये जाने पर एस आर- देवप्रयाग, एस आर (I)- रूड़की तथा एस आर- ऋषिकेश ने समुचित उत्तर नहीं दिया। तथापि, एस आर (I), देहरादून ने अपने उत्तर (अप्रैल 2013) में बताया कि विक्रेताओं में से एक सहमतिकर्ता पक्ष का था तथा विक्रय पत्र में लाभ के बंटवारे तथा दो विक्रेताओं के मध्य कोई अनुबन्ध का प्रमाण भी उल्लिखित नहीं था। स्टाम्प अधिनियम की धारा-3 के अनुसार, विलेखों के अभाव में तथा केवल परिकल्पना के आधार पर स्टाम्प शुल्क की कमी नहीं की जा सकती। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, जैसा कि विक्रय पत्र में स्पष्ट उल्लेख था कि विक्रेताओं में से एक विकासक (सहमतिकर्ता पक्ष) था तथा दूसरा भूमि का स्वामी था तथा उनमें समूह आवासीय परियोजना के विकास एवं निर्माण हेतु सहमति थी। इस प्रकार, इन सभी प्रकरणों में, विकास अनुबन्ध को भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1ख 5 (ख-2) के अन्तर्गत पंजीकृत किये जाने की आवश्यकता थी और स्टाम्प शुल्क ₹ 79.84 लाख आरोपित किये जाने की आवश्यकता थी।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (अगस्त 2013); उत्तर अपेक्षित है (दिसम्बर 2013)।

[7] आवास विकास शुल्क सहित (जहाँ लागू हो)।